न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	05/2019	14.01.2019	14/25 (2025/14)	15.01.2025	30.01.2026	1 लगायत 3
2	45/2023	12.09.2023				

1. देवनारायण पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासी गढीं गोपालपुरा तहसील बामनवास।
   1/1 धर्मेन्द्र पुत्र देवनारायण जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
   1/2 राकेश पुत्र देवनारायण जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
   1/3 कमला पत्नि देवनारायण जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
   1/4 कृष्णा पुत्री देवनारायण जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
2. पप्पू पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
3. सन्जो बेबा नादान जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
4. ज्ञानसिंह पुत्र खिलाडी जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
5. भूरसिंह पुत्र खिलाड़ी जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
6. नहरसिंह पुत्र खिलाड़ी जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
7. राजन्ती बेवा खिलाड़ी जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।

—अपीलान्ट

बनाम

1.. बृजमोहन पुत्र हरना तथाकथित गोद पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
2. बदनसिंह पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
3. हुकमसिंह पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।
4. सरकार जरिये तहसीलदार सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी बामनवास।

—रेस्पोडेन्डगण

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खॉन
रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री तरूण शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

1. यह अपील सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी बामनवास द्वारा मिसल नं0 143 दिनांक 28.05.1977 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 3 जरिये अधिकृवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 4 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर उभय पक्ष की की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:28 IST
Reason: SelfAttested

3. अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलार्थीगण के पिता नादान एवं खिलाडी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 181 अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलार्थी संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

3 के पति व अपीलार्थी संख्या 4 ता 6 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 7 के पति नादान, खिलाडी, पिसरान गंगाधर कौम गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास की खातेदारी भूमि साविक खसरा नम्बर 214 ग्राम गढी गोपालपुरा में स्थित है जिसके वर्तमान सेटलमेंन्ट मे नये नम्बर 496,499, व 500 कायम किये है लेकिन दौराने सेटलमेंट सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बामनवास द्वारा पर्चा संख्या 144 कायम करते समय पर्चे मे से नादान, खिलाडी, पिसरान गंगाधर का नाम हजफ कर रेस्पोडेन्ट बृजमोहन पिसर मुतवन्ना गंगाधर का नाम दर्ज किया जिसकी न तो नादान ना ही खिलाडी को कोई जानकारी थी, ना ही अपीलार्थीगण को कोई जानकारी थी सहायक भू प्रबन्ध के उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 7–8–18 को पर्चे के नकल के लिए प्रार्थना–पत्र पेश करने व दिनांक 27–8–18 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने से हुई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने इस तथ्य पर कतई गौर नही फरमाया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को गोद के सम्बन्ध मे विवाद निर्णीत करने का कोई अधिकार नही था इसके बावजूद भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने बिना किसी गोद पुत्र के गोद पुत्र के रूप में एन्ट्री करने मे कानूनी भूल की है। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी ने इस तथ्य पर भी कतई गौर नही फरमाया कि सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी को पुराने इन्द्राज मे फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं था उसके बावजूद भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने पुरानी चली आ रही एन्ट्री को निरस्त कर फर्जी एन्ट्री करने मे कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.05.1977 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नकल एकीकरण खतौनी सम्वत् 2019 व नकल जमाबन्दी खातेदार नादान , खिलाड़ी पि0 गंगाधर सम्वत् 2030 से 2033, नकल खतौनी बदोबस्त, नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2026 से 2029, नकल भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 नकल पर्चा खतौनी , नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 , एफ.आर.व एफ.आई.आरव रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ,इकरारनामा, फर्द रिपोर्ट, पर्ची रसीद लगान, मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट व स्वयं गंगाधर जो तत्समय खातेदार था , उसकी सहमति पर उक्त नामान्तकरण अंकित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता नहीं । अपीलार्थी द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया हुआ है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपील अस्वीकार कर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.05.1977 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

6. भू–प्रबंध कार्यवाही का सरलीकररण के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा नीतिगत सम्बन्धी आदेश दिये है, जो निम्न है।
(1) पर्चा खतौनी में नये व पुराने दोनों खसरा नम्बरान मय क्षेत्रफल अंकित किये जायेंगे।
(2) क्षेत्रफल में कोई कमीबेसी (परिवर्तन)नहीं किया जावेगा। आवंटन में कोई क्षेत्रफल का अन्तर आता है तब इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी के स्तर पर लिया जायेगा।
(3) भू प्रबन्ध विभाग के नामान्तकरण खोलने, तस्दीक करने और नकल देने का अधिकार राजकीय परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 14/2025 देवनारायण व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य ।

(4) खातेदारी राजकीय भूमि पर कब्जे या बदर के आधार पर नहीं दी जावेगी।
(5) मिसल बंदोबस्त (मिसल–हकीकत) मिसल हकीकत का शाब्दिक अर्थ रिकॉर्ड ऑफ राइट या अधिकार कोड बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली बंदोबस्त की जमाबन्दी के लिये

भू–प्रबन्ध आयुक्त के निर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से 7 रजिस्टर ही तैयार किये जावेंगे। (पूर्व की भांति 17 रजिस्टर तैयार नहीं किये जायेंगे)

7. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के पिता नादान खिलाड़ी पिसरान गंगाधर की खातेदारी भूमि बृजमोहन के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई है। ऐसी स्थिती में **Summary or Settlement Operation** में प्रचलित विधि के तहत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की कार्यवाही विधि के तहत स्वतः ही प्रारंभतः शून्य (**Ab initio void**) है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 127 और धारा 181 के अर्न्तगत भू–प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद विचाराधीन उज्रदारी निर्णित करने के अधिकार उपखण्ड अधिकारी और कलेक्टर को प्राप्त है।

8. मुख्य शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1)विभाग का परिपत्र सं0 13/22/राज/ग्रुप– 1/93, दिनांक 23.05.1994 के तहत विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 125 के अर्न्तगत कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की जावेगी।

9. निर्णय के पैरा 6,7, एवं 8 में उल्लेखित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित विधिक प्रावधान, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.1994 व भू प्रबन्ध प्रकिया (**Summary or Settlement Operation**) हेतु निर्धारित विभागीय नीति के विरूद्ध कृत्य किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है।

10. अतएवः परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बामनवास के मिसल नं0 143 में पारित आदेश दिनांक 28.05.1977 निरस्त किया जाता है तथा निर्णय की प्रति तदनुसार राजस्व रिकोर्ड मे शुद्धि करने हेतु तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर को प्रेषित की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन्र सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:28 IST
Reason: SelfAttested